

कार्यालय:-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा, (म0प्र0)

कमांक 466 /दो-11-01/2004(भाग-2),

आ दे श

रीवा, दिनांक 31 मई 2024

समिति के प्रतिवेदन दिनांक 31.05.2024 से सहमत होते हुए प्रशासकीय कार्य की सुविधा की दृष्टि से निम्नानुसार तृतीय श्रेणी कर्मचारी का स्थानांतरण कर आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ किया जाता है :-

क्र.	नाम कर्मचारी	कहां से	कहां को	रिमाक
1	श्री राहुल तिवारी, स0ग्रे0-3	साक्ष्य लेखक, न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड त्योंथर, जिला रीवा (सुश्री वंदना सोनी) के न्यायालय से	न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड त्योंथर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश (सुश्री अपूर्वा पाठक) के न्यायालय में	समस्त लिपिकीय कार्य का सम्पादन करेंगे।

हस्ता/-

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा, म0प्र0

पू. कमांक.....2852...../
दो-11-01/2004(भाग-2),

रीवा, दिनांक 31 मई, 2024

प्रतिलिपि:-

1. न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड त्योंथर, जिला रीवा।
2. न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड त्योंथर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश त्योंथर, जिला रीवा।
3. कोर्ट मैनेजर, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा।
4. स्टेनो टू, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा।
की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. संबंधित कर्मचारी श्री राहुल तिवारी स0ग्रे0-3 की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे दिनांक 01.06.2024 को आवश्यक रूप से नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।
6. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा की ओर आदेश की प्रति जिला न्यायालय रीवा की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
7. डी0एस0ए0/एस0ए0 कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा की ओर आदेश की प्रति एच. आर.एम.एस./ई.आर.पी. साफ्टवेयर में प्रविष्टि किये जाने हेतु प्रेषित।
8. लेखापाल/देयक लिपिक, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा, म0प्र0